ालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)

राजस्व प्रकरण संख्या – 02/2021

तारीख दायरा – 18/02/2021

प्रार्थीगण :–

1. रम्बा बेवा दौलाराम
2. वगताराम पुत्र दौलाराम
3. लालराम पुत्र दौलाराम मृतक के वारिसान

3/1. नोजकी बेवा लालाराम

3/2. भावना पुत्री लालाराम उम्र 13 वर्ष नाबालिग
जरिये कुदरती वली माता श्रीमति नौजकी पत्नी लालाराम

4. मांगीलाल पुत्र दौलाराम
5. भैराराम पुत्र दौलाराम
6. हसकी पुत्री दौलाराम
7. नौजकी पुत्री दौलाराम
8. सनकी पुत्री दौलाराम जातिगण जणवा चौधरी
निवासीगण अटाटिया तहसील देसूरी जिला–पाली

अप्रार्थी :–

1. तहसीलदार (भूमिधारी) देसूरी तहसील देसूरी जिला–पाली (राज0)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री नारायणसिंह भाटी, अधिवक्ता प्रार्थीगण सं[illegible] से 08 की ओर से
2. श्री कैलाश ईनाणिया तहसीलद[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:00:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

–: निर्णय :–

—दिनांक 25/8/2021

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम अणेवा तहसील देसूरी जिला–पाली के पुराने ख0नं0 96 रकबा 31 बीघा किस्म चाही कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा प्रार्थीगण के पिता काका स्व0 दौला, देवा पि0 महिंग ने जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 01/08/1981 को खरीद किया गया। बाद बेचान रजिस्ट्री प्रार्थीगण के पिता काका स्व0 दौला, देवा पि0 महिंग के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 363 से राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया। बाद सैटलमेन्ट पुराने ख0 नं0 96 रकबा 31 बीघा के नये खसरा नं0 222, 223, 224, 225 रकबा 5.05 हेक्टर बने है। वास्ते सबूत नामान्तरकरण संख्या 363 मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 साथ में पेश है।

2. दौराने सैटलमेन्ट प्रार्थीगण के काका देवा पुत्र महिंग लाऔलाद फौत होने से प्रार्थीगण के पिता दौला पुत्र माईग जो देवा पुत्र महिंग का भाई होने से सम्पूर्ण 1/4 हिस्से में उसका नाम खसरा परिवर्तनशील भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2035, 2036 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 407 के दर्ज हुआ परन्तु उसी प्रविस्टि में संवत् 2035, 2036 के राजस्व रेकर्ड में सेटलमेन्ट अधिकारियों ने देवाराम का नाम हटाकर प्रार्थीगण के स्व0 पिता दौला पुत्र महिंग अकेले का नाम दर्ज करना था। उस जगह दौला, देवा पुत्र देवा 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया जो सेटलमेन्ट अधिकारियों ने गलती व भूलवश से दौला पुत्र माईग की जगह दौला, देवा पुत्र देवा नाम का नाम गलत दर्ज कर दिया ऐसा करने का सेटलमेन्ट विभाग को कोई कानूनी अधिकार नही था। उक्त त्रृटि को सुधारा जाना आवश्यक है जबकि दौला व देवा दोनों भाई माईगजी के जामंदा लडके थे। सबूत में मिसल बंदोबस्त 2041 से 2060 के खाता संख्या 156 जिसके पुराने खसरा नं0 96 एवं नये खसरा नं0 222, 223, 224, 225 रकबा 5.05 हेक्टर भूमि में दौला, देवा पुत्र देवा 1/8 हिस्सा पुराने रेकर्ड 2035, 2036 के अनुसार गलत दर्ज कर दिया है जबकि दौला के पिता का नाम माईग है जो मिसल बंदोबस्त 2041 से 2060 के इसी क्रम में खाता सं0 157, 158 में दौला पुत्र माईग दर्ज है। जो प्रार्थीगण के स्व0 पिता का सही एवं वास्तविक नाम है। प्रार्थीगण के स्व0 पिता दौला पुत्र माईग का अन्य दस्तावेजो, पहचान पत्रों, राशनकार्ड, आधारकार्ड, मृत्यु प्रमाण–पत्र में भी दौला पुत्र माईग दर्ज है उक्त दस्तावेज की फोटो प्रतियां पेश है।

वर्तमान जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में प्रार्थी के स्व0 पिता दौलाराम पुत्र देवाराम गलत दर्ज कर दिया गया है, प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्व0 पिता दौलाराम पुत्र देवाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हो गया है, जिसे सुधारा जाकर प्रार्थीगण के स्व0 पिता का सही नाम दौला पुत्र माईगजी है जिसे राजस्व रेकर्ड में दर्ज का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:00:57 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर (एस.डी.ओ.) ... (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को वास्ते जवाब हेतु नोटिस जारी किया अप्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार देसूरी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थी ने मानसिंह पुत्र आईदानसिंह राजपूत से भूमि क्रय की है, जिसमें प्रार्थी दौला, देवा पि० महिंगजी 1/4 हिस्सा दर्ज है लेकिन नामान्तरकरण संख्या 363 दर्ज करते वक्त त्रुटिवश दौला, देवा पि० देवा 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जिसे सुधारा जाना उचित रहेगा।

अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली मय राजस्व रेकोर्ड एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात राशनकार्ड, आधारकार्ड, मृत्यु प्रमाण–पत्र, रजिस्ट्री विक्रय का विलेख अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत् 2035, 2036 भू–प्रबन्ध विभाग के अनुसार देवा फोत होने से नामान्तरकरण संख्या 407 के अनुसार दौला माईग 1/4 दर्ज हुआ लेकिन सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दौला माईग दर्ज नही कर दौला, देवा पुत्र देवा 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया जो गलत है, सेटलमेन्ट विभाग की भूल व त्रृटि होने से मिसलबंदोबस्त 2041 से 2060 एवं वर्तमान जमाबंदी में भी दौलाराम पुत्र देवाराम गलत दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। जिसकी दुरूस्ती आवश्यक है। आधारकार्ड, राशनकार्ड एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र में भी दौलाराम पुत्र माईगराम दर्ज है।

अत : प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के स्व0 पिता दौलाराम पुत्र देवाराम गलत दर्ज होने से त्रृटि की दुरूस्ती की जाकर सही नाम ग्राम अणेवा तहसील देसूरी के राजस्व रेकर्ड वर्तमान जमाबंदी में दौलाराम पुत्र माईगराम दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार देसूरी राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(राजलक्ष्मी गुहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक 25/08/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:00:57 IST
Reason: SelfAttested